

जीविका के बैंक में 635 पदों पर होगी बहाली

पटना. जीविका की ओर से स्थापित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड में 635 पदों पर बहाली होगी. राज्य स्तर पर कुल 43 पद, जिला स्तर पर 76 और प्रत्येक प्रखंड में एक-एक कर्मी की बहाली होगी. जिला स्तर पर दो-दो कर्मी बहाल होंगे. प्रत्येक प्रखंड में एक-एक कर्मी की भर्ती होगी. बहाली के लिए शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता का निर्धारण जीविका की ओर से किया जायेगा. जिला स्तर पर 38 जिला प्रबंधक और 38 ही लेखापाल सह कार्यालय सहायक बहाल किये जायेंगे. वहीं 534 प्रखंडों में सहायक प्रबंधकों की बहाली होगी. सभी कर्मियों के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार की ओर से प्राप्त अनुदान और बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की आय से किया जायेगा.

लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की बैठक

पटना. समाहरणालय के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार अनुसचिवीय कर्मचारी संघ (सम्बद्ध-महासंघ (गोपगुट) की राज्यस्तरीय विस्तारित बैठक महासंघ (गोप गुट) कार्यालय, पुनाइचक में सम्पन्न हुई. प्रतिनिधियों के विचार सुझावों के आलोक में बैठक में मो सईद, कुमार इंद्रजीत, सैयद मो नजमी सहित 25 सदस्यीय राज्यस्तरीय तदर्थ समिति का गठन किया गया. तदर्थ समिति की बैठक 11 जून को होगी. जिसमें मांग-पत्र और मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जायेगा. बैठक में विभिन्न जिलों से 189 लोगों ने भाग लिया. अध्यक्षता सुनील कुमार और संचालन सैयद मो नजमी ने किया.

Monday, June 9, 2025

Patna-City

<https://epaper.prabhatkhabar.com/clip/6845e9b96a266df3b702871a>



बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
प्रेस नोट

(8/5)
6

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, पटना (जीविका निधि) के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर कुल-43 पद, जिला स्तर पर कुल-76 पद (प्रत्येक जिला के लिए 02 पद), प्रखंड स्तर पर कुल-534 पद (प्रत्येक प्रखंड के लिए 01 पद) अर्थात् कुल-653 पद प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।